



दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि.-०३/०६/२०२४

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० बंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षाकीरीता

कराचे बिल (पोचपावती)

वार्ड क्र: ६ मालमत्ता क्र: २२१६ भाग क्र:

जुना वार्ड क्र: ६ जुना मालमत्ता क्र: १६७३



मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मेरे: बबन बालाजी देहाडे

मालमत्ते वर्णन: निवासी

बिल क्र.

DND12692

भोगवटदाराचे नाव:

पता: शेंडे वस्ती, दौंड

भाडेखालचे नाव:

संगणक क्र.: W7CZ2000131

दुकान / इमारतीचे नाव:

| राचे विवरा | संकलित कर रु | वृक्ष कर रु | अग्रिशमन कर रु | वि. स्वच्छता कर रु | शिक्षण उपकर रु | रो. ह. उपकर रु | उपयोगकर्ता शुल्क रु | शास्ती दि. ३१/०५/२०२४ पर्यंत | बनाधिकृत बांधकामावरिल कर रु | दुकानगाळा आडे रु | एकूण कर रु |
|-----------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| पक्षीत मागणी रु | ६४७३ | २७३ | १३२ | १३२ | १४६४ | | ३६० | ९४६६ | | | १८३०० |
| चालु मागणी रु | ७१५ | ३३ | १६ | १६ | १८४ | | ३७८ | | | | १४२२ |
| एकूण मागणी रु | ७२६८ | ३०६ | १४८ | १४८ | १६४८ | | ७३८ | ९४६६ | | | १९७२२ |

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती वेणाऱ्याची सही

दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि.-०३/०६/२०२४



महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० बंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षाकीरीता

कराचे बिल

वार्ड क्र: ६ मालमत्ता क्र: २२१६ भाग क्र:

जुना वार्ड क्र: ६

जुना मालमत्ता क्र: १६७३



मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मेरे

बबन बालाजी देहाडे

मालमत्ते वर्णन: निवासी

बिल क्र.

DND12692

भोगवटदाराचे नाव:

भाडेखालचे नाव:

दुकान / इमारतीचे नाव:

१) महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार नगर परिषेद्वा कर आविक वर्षाच्या सुलवातीला अथवा ते १ एप्रिल रोजी देय होते. २) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५०(३) अन्वये बिल दिल्यापासून १५ दिवांगांचे आव विलालील संगै रकमेचा भरणा केल्यास संकलित करात १ दिला सबलत मिळेल. ३) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील (राजपत्र दि. २७/०४/२०१० अमाधारण भाग ४) मधिल सुधारीत कलम १५० अ (१) कमेचा पुरी भरणा करेपर्यंत प्रतिमाह २% शास्ती भरावी लागेल व चालु मागणीतील पाहिली अर्धवार्षिक रक्कम दि. ३०/०१/२०२४ पर्यंत भरणा करण्यात यावी. त्यानंतर रक्कम भरेपर्यंत २% गास्ती लागेल व चालु मागणीतील दुसरी अर्धवार्षिक रक्कम दि. ३१/१२/२०२४ पर्यंत भरणा करण्यात यावी अन्यथा त्यानंतर रक्कम भरेपर्यंत २% प्रतिमाह शास्ती भरावी लागेल. ४) रक्कम न भरल्यास कलम १५० अ (१) अन्वये एकूण थक्कीत रकमेच्या प्रतीमाह २% प्रमाणे शास्ती आकारायात येईल. व कर रक्कम देऊमाह भरणा करणे वेंडनकारक राहील. ५) विहीत मुदतीच्या कालवधीत कराचा भरणा केला नाही किंवा (अ) पुरी कराचा भरणा शास्ती ची रक्कम, आज, की व इतर वार्की रक्कम विहीत मुदतीत भरली नाही किंवा (ब) कलम १६९ तरुदीनुवार अथा विला विस्तृद अपिल केली नाही, तर असी रक्कम व तो वसुल करण्याचा सर्व खर्च कलम १५२ अन्वये मुख्याधिकारी यांच्या सही वॉरंट (अधिपत्र) मालमत्ते अंतकावणी किंवा जर्सी करन व ती जाहिर लिलावाळ्यारे विकुण वसुलीस पात्र असेल ६) जस केलेल्या स्थावर मालमत्तेवात मांडत आणि आवृत आपली स्थावर मालमत्ता ताव्यात घेता येईल. ७) सदर देवक ३१/०५/२०२४ पर्यंत वे वसुली नोंदीस आविन राहुन लागु करण्यात घेत आहेत. नमूद्यास, भरलेली रक्कम सदर विलातुन समायेजित केली जाईल.

सन २०२४-२५ करीता मागणी

| कराचे विवरण | थकीत मागणी रु | चालु मागणी | | चालु वसुली (असल्यास) | सन २०२३-२४ ची एकूण देय मागणी रु |
|---|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | प्रथम अर्धवार्षिक मागणी रु | दुसरी अर्धवार्षिक मागणी रु | | |
| संकलित कर रु | ६४७३ | ३९८ | ३९७ | | ७२६८ |
| वृक्ष कर रु | २७३ | १७ | १६ | | ३०६ |
| अग्रिशमन कर रु | १३२ | ८ | ८ | | १४८ |
| वि. स्वच्छता कर रु | १३२ | ८ | ८ | | १४८ |
| शिक्षण कर रु | १४६४ | ९२ | ९२ | | १६४८ |
| रो. ह. उपकर रु | | | | | |
| उपयोगकर्ता शुल्क | ३६० | १८९ | १८९ | | ७३८ |
| शास्ती दि. ३१/०५/२०२४ पर्यंत | ९४६६ | | | | ९४६६ |
| दुकान गाळा भाडे रु | | | | | |
| अनधिकृत बांधकामावरिल दंडात्मक संकलित कर | | | | | |
| एकूण कर रु | १८३०० | ७१२ | ७१० | | १९७२२ |

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

| विवरण | जून-२४ | जुलै-२४ | ऑग-२४ | सप्टें-२४ | ऑक्टो-२४ | नोव्हे-२४ | डिसे-२४ | जाने-२५ | फेब्रु-२५ | मार्च-२५ |
|----------------------------|--------|---------|-------|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|
| थकीत देय रक्कम रु | १८३०० | १८४७७ | १८६५३ | १८८३० | १९००७ | १९१८३ | १९३६० | १९५३७ | १९७१३ | १९८९० |
| पहिली अर्धवार्षिक मागणी रु | ७१२ | ७१२ | ७१२ | ७२६ | ७४० | ७५५ | ७५७ | १४७९ | १५०७ | १५३५ |
| दुसरी अर्धवार्षिक मागणी रु | ७१० | ७१० | ७१० | ७१० | ७१० | ७१० | ७१० | १४०६ | २१२२० | २१४२५ |
| एकूण देय रक्कम रु | १९७२२ | १९८९९ | २००७५ | २०२५२ | २०४४३ | २०६३३ | २०८२५ | २१०१६ | २१२२० | २१४२५ |
| झाडे लावा, | | | | | | | | | | |
| झाडे जगवा | | | | | | | | | | |



स्वच्छ दौंड
संदर दौंड



कर विवाह प्रमुख

मुख्याधिकारी

दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे